न्यायलयः— अपर सेशन न्यायाधीश, सलुम्बर, जिला सलुम्बर, (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:—	विजय सिंह महावर, UID NO- RJ00593(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
विविध आपराधिक प्रकरण संख्या	:—	50/2026
सी.आई.एस. नंबर	:—	195/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:—	159/2024, पुलिस थाना झल्लारा
सेशन प्रकरण संख्या	:—	53/2024
अपराध अंतर्गत धारा	:—	109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3/25 आयुध अधिनियम

01. मनोहर सिंह पुत्र पहाड़ सिंह, उम्र 67 वर्ष, निवासी सालेया, पुलिस थाना झल्लारा, जिला सलुम्बर।

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा S-B-Cri.Misc.Appl.No. 376/18 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नही की गई है)

———प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य

———विपक्षी/अभियोगी

—::जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023::—

उपस्थितिः—

1.श्री अनिल भारती व श्री ललित कुमार चौधरी विद्वान अधिवक्ता— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2.श्री नाहर सिंह चुण्डावत, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

—::आदेश::— दिनांक : 27 मई, 2026

---

(01) प्रार्थी/अभियुक्त मनोहर सिंह की ओर से यह **तृतीय जमानत** का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पेश किया, जो आज सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश हुआ।

(02) बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली अवलोकन किया गया।

(03) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.09.2024 को फरियादिया पुनम ने थानाधिकारी पुलिस थाना झल्लारा के समक्ष एक रिपोर्ट इस

आशय की पेश की कि दिनांक 31.08.2024 को शाम करीब 07:00 बजे फरियादिया पुनम के पति प्रताप सिंह अपने खेत स्थित फार्म हाउस पर फसल देखने गए थे। कुछ समय बाद परिवार वालों के चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादिया वहां पहुंची, जहां पड़ोसी मनोहर सिंह हाथ में बंदूक लेकर घर की ओर आते दिखाई दिए। आगे जाकर देखा तो प्रताप सिंह फार्म हाउस के बाहर घायल अवस्था में पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें उठाया, तब उन्होंने बताया कि मनोहर सिंह ने जान से मारने की नीयत से उन पर बंदूक से गोली चलाई। गोली लगने से उनके दोनों पैरों और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बाद में ग्रामीणों की मदद से उन्हें पहले सलूम्बर और फिर उदयपुर इलाज हेतु रेफर किया गया। फरियादिया ने रिपोर्ट में मनोहर सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला कर घायल करने की कानूनी कार्रवाई की मांग की इत्यादि–इत्यादि...। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 159/2024, पुलिस थाना झल्लारा धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पंजीबद्ध किया गया और दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त दिनांक 01.09.2024 पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण कमिट एवं अंतरिम होकर प्राप्त हुआ जो वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर दिनांक 04.06.2026 को नियत है।

(04) विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त आशय का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार कोई बरामदगी शेष नहीं है तथा प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर विचाराधीन है। प्रकरण के विचारण में भी समय लगने की पूरी संभावना है। अभियुक्त दिनांक 01.09.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त सकुनत के निवासी होकर उसके कहीं पर भागने अथवा गवाहों को भड़काने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला होकर अपने परिवार का भरण पोषण करता

है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने उसका परिवार संकट में पड़ जायेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

(05) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त मनोहर का आपराधिक अभिलेख निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चालान नंबर	वि.वि.
01	81/2000	452, 323 भादस	76/2000	जैर ट्रायल
02	131/1991	341, 323/34 भादस	114/1991	जैर ट्रायल
03	25/2017	341, 323, 354/34 भादस	18/2017	जैर ट्रायल

(06) उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फरियादिया पुनम ने प्रार्थी/अभियुक्त मनोहर द्वारा स्वयं के पति को जान से मारने की नीयत से बंदूक से फायर कर चोटें पहुंचाये जाने का आरोप लगाया है, जो धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 3/25 आयुध अधिनियम का आक्षेप है। इस प्रकरण में 10 साल की सजा का प्रावधान है। बाद अनुसंधान भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध फरियादिया के पति पर बंदूक से फायर कर प्राण घातक चोटें कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है तथा इस मामले में दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना पर इस मामले की घटना में प्रयुक्त टोपीदार बंदूक भी बरामद की गयी है। उक्त प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर विचाराधीन होकर कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये है किंतु प्रकरण के चिकित्सकीय साक्षी व अन्य मुख्य गवाहों के बयान होना शेष है। पत्रावली में संलग्न अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड में अभियुक्त के विरुद्ध 3 प्रकरण पंजीबद्ध होकर जैर ट्रायल होना दर्शाया हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। लिहाजा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—::आदेश::—

(07) परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मनोहर सिंह पुत्र पहाड़ सिंह, उम्र 67 वर्ष, निवासी सालेया, पुलिस थाना झल्लारा, जिला सलुम्बर की ओर से प्रस्तुत **तृतीय** जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(विजय सिंह महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राज.

(08) आदेश आज दिनांक 27 मई, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(विजय सिंह महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राज.